पूर्व पीठिका

विगत वर्षों में अनियमित मानसून तथा अल्प वृष्टि के कारण बिहार राज्य सुखाड़ आपदा का समाना करता रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों, खासकर गंगा नदी के दक्षिण में अवस्थित मगध, पटना आदि प्रमण्डल के जिलों में भू–जल स्तर में लगातार गिरावट प्रतिवेदित होती रही है। अतएव यह महसूस किया गया कि पेयजल संकट के प्रबंधन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया का सूत्रण किया जाय।

पेयजल संकट के संकेतों की पहचान, इससे निपटने के लिए आकस्मिक योजनाओं की पूर्व तैयारी, संकटग्रस्त टोलों/ ग्रामों का चिन्हिकरण से लेकार आवश्यकतानुसार टैंकरों, रेलवे आदि के माध्यम से पेयजल आपूर्ति तक की समस्त प्रक्रिया को एकीकृत कर इस मानक संचालन प्रक्रिया में समाविष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त आम आदमी की न्यूनतम आवश्यकता तथा ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था को ध्यान में रख कर पेयजल संकट के समय किये जाने वाले कार्यों को स्पष्ट तथा जिम्मेदारियों को सुपरिभाषित किया गया है। इससे आमजनों के ससमय पर्याप्त पहल करने की सरकार की प्रतिवद्धता को कायम रखने में सहयोग मिलेगा। यह पुस्तक सभी संबंधित पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगा तथा स्थानीय संसाधनों के सम्यक सदुपयोग में सहायक सिद्ध होगा।

इस ''पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया'' के संकलन के लिए मैं आपदा प्रबंधन विभाग को बधाई देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पेयजल संकट प्रबंधन के विभिन्न आयामों यथा पूर्व तैयारी, आकस्मिक योजना का सूत्रण, संकट के समय आमजन के पर्याप्त जल उपलब्ध कराने आदि में यह दस्तावेज अत्यन्त सिद्धकारक होगा।

(नीतीश कुमार)
मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

भूमिका

बिहार एक बहु आपदा प्रवण राज्य है। प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़ के साथ–साथ अन्य प्राकृतिक आपदाओं, वज्रपात, शीतलहर, पेयजल संकट आदि से प्रभावित होता है। जहाँ एक ओर उत्तर बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ की विभीषिका का सामना करते हैं, वहीं दूसरी ओर गंगा के दक्षिण में अवस्थित सतरह जिले सुखाड़ आपदा तथा तद्जनित पेयजल संकट से जूझते हैं। शीतकाल के अंत से ही कतिपय जिलों, विशेषकर गंगा के दक्षिण अवस्थित जिलों में भूजल स्तर में गिरावट के कारण पेयजल संकट की स्थिति के उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। विगत दो–तीन वर्षों में अनियमित मानसून तथा अल्प वर्षा के कारण राज्य के अधिकांश जिले सुखाड़ के चपेट में आए हैं। अल्प वृष्टि के कारण भू–जल स्तर में भी गिरावट आती है । अतएव यह आवश्यक हो गया है कि पेयजल संकट से निपटने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया का सूत्रण किया जाय ताकि इस आपदा का सुचारु रूप से सफलतापूर्वक प्रबन्धन किया जा सके।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सफल नेतृत्व एवं सक्रिय मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किये गए हैं। "पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया" से संबंधित यह पुस्तिका भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।

इस पुस्तिका में पेयजल संकट की ससमय पहचान, इसके प्रभावों तथा तीव्रता का आकलन तथा सम्यक् प्रबन्धन हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्य का आवंटन तथा जिम्मेदारी का निर्धारण किया गया है। मूलोद्देश्य यह है कि पेयजल संकट की आहट के साथ ही जलापूर्ति योजनाओं /पुराने चापाकलों की मरम्मति /नये चापाकलों का अधिष्ठापन, निजी नलकूपों तथा टैंकरों आदि द्वारा जल उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ हो जाय तथा इसका विधिवत् अनुश्रवण कर आमजन को कोई कठिनाई न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

मुझे विश्वास है कि "पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाई जानेवाली मानक संचालन प्रक्रिया" सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

(डॉ0 रेणु कुमारी कुशवाहा)
मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

(व्यास जी)
प्रधान सचिव
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

सत्यमेव जयते

0612-2215500 (O)
0612-2217786 (F)
Email- secy-disastermgmt-bih@nic.in

पटना,
दिनांक

अ0स0पत्र सं0-

प्रस्तावना

वर्ष 2009–10 तथा वर्ष 2010–11 में लगातार 2 वर्षों तक राज्य में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वर्ष 2009–10 में राज्य के 26 जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया था जबकि अगले वर्ष 2010–11 में राज्य के सभी जिले सुखाड़ग्रस्त घोषित किये गये। यह अपने–आप में अभूतपूर्व था कि लगातार 2 वर्षों तक बिहार सुखाड़ग्रस्त रहा। इसका परिणाम यह रहा कि जनवरी, 2011 आते–आते गंगा के दक्षिण स्थित जिलों में पेयजल का भी संकट उत्पन्न हो गया।

पेयजल संकट से निपटने के लिए विभाग ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ समन्वय कर सभी जिलों में त्वरित कार्रवाई की। परन्तु उसी दौरान सरकार का निदेश हुआ कि पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रकिया का सूत्रण किया जाए।

वैसे तो बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी जिलों में सुखाड़ का होना कोई अनहोनी घटना नहीं है परन्तु गंगा के उत्तरी जिलों में सुखाड़ की स्थिति अपने–आपमें चिन्ताजनक स्थिति का द्योतक है। जलवायु परिवर्त्तन की विश्वव्यापी परिघटना ने हमारे समक्ष यह चुनौती प्रस्तुत की है कि भविष्य में आने वाले आपदाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु अभी से ही पूरी तैयारी कर ली जाए। जलवायु परिवर्त्तन के कारण कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ की स्थिति बन रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों में, खासकर यूरोप में इस वर्ष हुई भीषण वर्फवारी ने जलवायु परिवर्त्तन के फलस्वरूप उत्पन्न खतरे को गहरे रेखांकित किया है। भारत और खास कर बिहार जैसे बहुआपदा प्रवण राज्य में हमें जलवायु परिवर्त्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। यदि अल्प वर्षा अथवा अनियमित मॉनसून की स्थिति उत्पन्न होती है, तो पेयजल का भीषण संकट उत्पन्न होने की संभावना लगातार बनी रहेगी।

इसी कम में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रकिया का सूत्रण माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग तथा मुख्य सचिव के दिशा निर्देश में विभाग द्वारा किया गया है। इस पुस्तिका में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाये जाने वाले विभिन्न चरणों की पहचान की गयी है तथा पेयजल संकट उत्पन्न होने

की स्थिति में विभिन्न विभागों तथा जिला स्तर पर क्या कार्रवाईयॉ योजनाबद्ध तरीके से की जा सकती हैं उसका समावेश किया गया है। मानक संचालन प्रकिया के सूत्रण में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं नगर विकास विभाग से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुआ था जिनका समावेश करते हुए मानक संचालन प्रकिया को अंतिम रूप दिया गया है। कोशिश की गयी है कि संबंधित विभागीय निदेशों एवं परिपत्रों को भी प्रकिया आलेख में समाहित कर दिया जाए ताकि पेयजल संकट उत्पन्न होने पर उसके त्वरित प्रबंधन में मद्द हो सके।

मैं विभाग के सभी पदाधिकारियों जिन्होंने मानक संचालन प्रकिया के सूत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है बधाई देना चाहूँगा । उनके अनुभव एवं प्रयासों से मानक संचालन प्रकिया का सूत्रण संभव हो सका है।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग